सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आषाढ़ 22, गुरूवार, *शाके* 1945-जुलाई 13, 2023
Asadha 22, Thursday , Saka 1945- July 13, 2023

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 11, 2023

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 311:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1463 दिनांक 08.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत सावर के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत सावर के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1463 दिनांक 08.05.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका सावर में सम्मिलित ग्राम पंचायत सावर के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- सावर, जिला अजमेर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 312:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/2089 दिनांक 14.06.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2089 दिनांक 14.06.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका मालाखेडा में सम्मिलित ग्राम पंचायत मालाखेडा के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- मालाखेडा, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 313:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/2046 दिनांक 09.06.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत कठूमर के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत कठूमर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/2046 दिनांक 09.06.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका कठूमर में सम्मिलित ग्राम पंचायत कठूमर के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- कठूमर, जिला अलवर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 314:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/693 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत दई के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत दई के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/693 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका दई में सम्मिलित ग्राम पंचायत दई के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- नैनवां, जिला बूंदी को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 315:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/718 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत हिण्डोली के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत हिण्डोली के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/718 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका

हिण्डोली में सम्मिलित ग्राम पंचायत हिण्डोली के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- हिण्डोली, जिला बूंदी को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 316:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/905 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत रायपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत रायपुर के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/905 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका रायपुर में सम्मिलित ग्राम पंचायत रायपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- रायपुर, जिला भीलवाडा को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन/ 2023 / 317:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/771 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत बसवा के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत बसवा के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/771 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका बसवा में सम्मिलित ग्राम पंचायत बसवा के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- बसवा, जिला दौसा को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 318:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/825 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत लवाण के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत लवाण के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/825 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका लवाण में सम्मिलित ग्राम पंचायत लवाण के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- लवाण, जिला दौसा को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 319:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/745 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के

खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत रामगढ पचवारा के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत रामगढ पचवारा के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/745 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका रामगढ पचवारा में सम्मिलित ग्राम पंचायत रामगढ पचवारा के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- रामगढ पचवारा, जिला दौसा को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 320:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1318 दिनांक 24.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत रामदेवरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत रामदेवरा के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1318 दिनांक 24.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका रामदेवरा में सम्मिलित ग्राम पंचायत रामदेवरा के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- सांकडा, जिला जैसलमेर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 321:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संशोधित अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1366 दिनांक 02.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 931-957 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1366 दिनांक 02.05.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका बाप में सम्मिलित ग्राम पंचायत बाप के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- बाप, जिला जोधपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 322:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1291 दिनांक 24.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1291 दिनांक 24.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका आहोर में सम्मिलित

ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- आहोर, जिला जालोर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 323:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/878 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत सिंघाना के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत सिंघाना के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/878 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका सिंघाना में सम्मिलित ग्राम पंचायत सिंघाना के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- सिंघाना, जिला झुन्झुनू को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 324:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/798 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत मंडरायल के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका

घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत मंडरायल के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/798 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका मंडरायल में सम्मिलित ग्राम पंचायत मंडरायल के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- मंडरायल, जिला करौली को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 325:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/851 दिनांक 19.04.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत खिरनी के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत खिरनी के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/851 दिनांक 19.04.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका खिरनी में सम्मिलित ग्राम पंचायत खिरनी के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 326:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1436 दिनांक 05.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत वल्लभनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत वल्लभनगर के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1436 दिनांक 05.05.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका वल्लभनगर में सम्मिलित ग्राम पंचायत वल्लभनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- वल्लभनगर, जिला उदयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 327:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1493 दिनांक 11.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत वाटिका के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत वाटिका के सम्पूर्ण ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1493 दिनांक 11.05.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका वाटिका में सम्मिलित

ग्राम पंचायत वाटिका के सम्पूर्ण क्षेत्र, पंचायत समिति- सांगानेर, जिला जयपुर को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

रवि जैन,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 328:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1523 दिनांक 12.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत फागी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र व ग्राम पंचायत परवण का गॉव कवंरपुरा, मदनपुरा एवं ग्राम पंचायत मांदी के गॉव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेलवे को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । ग्राम पंचायत फागी के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र व ग्राम पंचायत परवण का गॉव कवंरपुरा, मदनपुरा एवं ग्राम पंचायत मांदी के गॉव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेलवे को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका फागी की स्थानीय सीमाएं रहेगी ।

अत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/23/1523 दिनांक 12.05.2023 की तिथि से ही नवगठित नगरपालिका फागी में सम्मिलित ग्राम पंचायत फागी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र व ग्राम पंचायत परवण का गॉव कवंरपुरा, मदनपुरा एवं ग्राम पंचायत मांदी के गॉव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेलवे के क्षेत्र (पंचायत समिति- फागी, जिला जयपुर) को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

आज्ञा से,

रवि जैन,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

संख्या एफ.15(26)पंरावि / विधि / नगरपालिका गठन / 2023 / 329:- स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )(ब.घो.)डीएलबी/ 23/1523 दिनांक 12.05.2023 से उनकी अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (**i**) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत फागी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम फागी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र व ग्राम पंचायत परवण का गॉव कवंरपुरा, मदनपुरा एवं ग्राम पंचायत मांदी के गॉव मोहनपुरा रणवा व रामपुरा रेलवे को सम्मिलित करते हुए फागी को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित किया गया है । जिसमें ग्राम पंचायतों के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है ।

अत: जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक भाग को नगरपालिका फागी की सीमा में सम्मिलित किया गया है, उन ग्राम पंचायतों के शेष भाग को नई ग्राम पंचायत बनाने अथवा उस भाग को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित करने के लिये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 **(1994** का अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, **1994** की धारा-9 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर को ग्राम पंचायत के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन किये जाने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रसारित करने, एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रण करने एवं उन पर सुनवाई करने के पश्चात तैयार किये गये प्रस्तावों को राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

आज्ञा से,
रवि जैन,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।